न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–90/2017/टोंक (2017/00108)

1. रूपा पुत्री बालू, जाति कहार, निवासी ग्राम टोरडी, तहसील मालपुरा जिला टोंक ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती चौथी पुत्री रामलाल पत्नि सुवालाल,
2. कैलाशी पत्नि बाबूलाल,
3. रेखा पुत्री बाबूलाल,
4. ग्यारसी लाल पुत्र रोडू,
5. सोनू पुत्र रोडू,
6. लच्छमो पुत्री रोडू,
7. श्रीमती तीजा पत्नि रोडू,
   समस्त जाति कहार, निवासी ग्राम टोरडी, तह0 मालपुरा, जिला टोंक ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मालपुरा, जिला टोंक ।

रेस्पोर्डेटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, मालपुरा जिला टोंक दिनांक 14.8.2017 अंतर्गत नामांतकरण संख्या 6685.

उपस्थितः–

1. श्री आशीष जैन, वकील अपीलांट ।
2. श्री पुष्पेन्द्र रावत, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 7.
3. रेस्पो0 संख्या 8 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :– 28.2.2018

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, मालपुरा, जिला टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित नामांतकरण संख्या 6685 आदेश दिनांक 14.8.2017 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान

भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 942, 995, 996, 997/1, 997/2, 998/1, 998/2 एवं 2429 कुल किता 8 कुल रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा भूमि ग्राम टोरडी, तहसील मालपुरा में स्थित है, जिसमें 1/4 हिस्सा की खातेदार गुलाब पुत्री बालू थी जिसने अपने जीवनकाल में अपीलांट के हक में एक वसीयत तहरीर करवा दी । सहखातेदार गुलाब का देहांत होने पर अपीलांट द्वारा वसीयत के आधार पर अपने नाम विवादित आराजियात का नामांतकरण स्वीकृत करने का निवेदन किया जाने पर तहसीलदार, मालपुरा ने लोक अदालत में प्रकरण नियत कर अपने आदेश दिनांक 25.5.2017 के द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए रेस्पो0 के नाम विरासत का नामांतकरण स्वीकार करने के आदेश पारित किये जिसकी पालना में तहसीलदार, मालपुरा ने नामांतकरण संख्या 6685 दिनांक 14.82017 को संस्थित किया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंटस के उपस्थित होने एवं अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि तहसीलदार, मालपुरा ने प्रार्थी को बिना विधिवत् नोटिस दिये एवं समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये एवं बिना किसी प्रकार की जांच किये ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त करने का आदेश प्रदान किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । तहसीलदार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि विवादित भूमि की मूल सहखातेदार मु0 गुलाब थी, जिसने अपने जीवनकाल में अपीलांट के हक में नोटेरी से तस्दीक एक वसीयत दिनांक 12.3.2011 को तहरीर कर दी थी एवं उसके स्वर्गवास के बाद अपीलांट विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है किन्तु अधी0न्याया0 ने बिना किसी प्रकार की जांच किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि सहखातेदार मु0 गुलाब द्वारा अपीलांट के हक में की गई वसीयत को जब तक रेस्पो0 सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लेते तब तक उनको विवादित आराजियात में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है । रेस्पोडेंटस मु0 गुलाब के जायंदा वारिसान नहीं है ओर ना ही उनका आराजियात से कोई लेना–देना है परन्तु इसके बावजूद तहसीलदार, मालपुरा ने विधि विरूद्ध रेस्पो0 के पक्ष में विरासत का नामांतकरण तस्दीक करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि वसीयत की वैधता का परीक्षण करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है परन्तु इसके

बावजूद तहसीलदार ने अपने अधिकार क्षैत्र से परे जाकर रेस्पो0 को गुलाब की विरासत में अधिकारी होना मानने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजियात को लेकर पक्षकारान के मध्य उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के न्यायलय में दो राजस्व वाद विचाराधीन है जिसमें पक्षकारों के अधिकारों का निस्तारण तय होना है इसलिये नियमित वाद के निर्णय तक नामांतकरण की कार्यवाही, जो कि समरी कार्यवाही है, को स्थगित रखना चाहिये था किन्तु तहसीलदार ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर तहसीलदार, मालपुरा द्वारा संस्थित नामांतकरण संख्या 6685 दिनांक 14.8.2017 अपास्त किया जावे तथा विवादित आराजी का नामांतकरण वसीयत के आधार पर अपीलांट के नाम स्वीकृत कराने के आदेश पारित करे । xx

4- विद्वान वकील रेस्पोडेंटस संख्या 1 से 7 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 तहसीलदार का आदेश विधिसम्मत् है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत तथाकथित वसीयत अंपजीकृत होकर फर्जी है । विवादित भूमि पैतृक थी जिसे वसीयत करने का अधिकार गुलाब को नहीं था । रेस्पो0 मृतक गुलाब के प्राकृतिक वारिसान है । अपीलांट ने अपंजीकृत वसीयत को सक्षम सिविल न्यायालय से प्रमाणित नहीं कराया है । प्राकृतिक वारिसान के मौजूद रहते तथा वसीयत को लेकर विवाद होने से वसीयत को सक्षम सिविल न्यायालय प्रमाणित कराये बिना अपीलांट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर प्राकृतिक वारिसान के पक्ष में नामांतकरण तस्दीक किया है जो विधिसम्मत् है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 की बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात की मूल सहखातेदार मु0 गुलाब थी । अपीलांट ने तहसीलदार, मालपुरा के समक्ष गुलाब द्वारा अपीलांट के पक्ष में अपंजीकृत वसीयत दिनांक 12.3.2011 के आधार पर नामांतकरण स्वीकृत हेतु आवेदन किया था । इसके विपरीत रेस्पो0 का कथन है कि जहां वसीयत को लेकर विवाद हो वहां वसीयत को सक्षम सिविल न्यायालय से प्रमाणित कराया जाना आवश्यक है । रेस्पो0 का यह भी कथन रहा है कि विवादित आराजियात पैतृक थी जिससे गुलाब को वसीयत करने का अधिकार नहीं था । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वसीयत के आधार पर नामांतकरण हेतु आवेदन किये जाने पर तहसीलदार, मालपुरा ने पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की गई एवं पटवारी हल्का ने अपने अपने मौका पर्चा दिनांक 17.12.2015 में विवादित भूमि को पैतृक होना अंकित करते हुए मृतक गुलाब पुत्री बालू के वारिसान का सजरा प्रस्तुत किया है जिसमें रेस्पो0 को मृतक के विधिक वारिसान होना अंकित किया है । प्रथमतः विवादित आराजियात पैतृक होने से मृ0 गुलाब को वसीयत करने का अधिकार नहीं था, द्वितीय तथाकथित

वसीयत को लेकर विवाद होने से अपंजीकृत वसीयत को सक्षम सिविल न्यायालय से प्रोबेट कराया जाना आवश्यक है । अपीलांट ने वसीयत को किसी भी सक्षम न्यायालय से प्रोबेट कराये जाने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । रेस्पो0 हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1956 की धारा 8 के अनुसार मृतक गुलाब के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान है । राजस्थान भू–राजस्व अधि0 की धारा 135 (2) के अनुसार जहां भूमि को लेकर विवाद हो वहां नामांतकरण के क्रम में प्राकृतिक वारिसान को प्राथमिकता देनी चाहिये तथा ऐसे मामलों में वसीयत के आधार पर नामांतकरण की कार्यवाही से बचना चाहिये । अधी0न्याया0 ने इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर अपीलाधीन नामांतकरण रेस्पोडेंटस, जो कि मृतक गुलाब के विधिक वारिसान है, के नाम संस्थित किया है जो विधिसम्मत् है । अपीलांट का यह भी कथन रहा है कि विवादित आराजियात के संबंध में पक्षकारान के मध्य दो राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में विचाराधीन है । यदि विचाराधीन वाद में अपीलांट को कोई हक व अधिकार प्राप्त होते है तो अपीलांट लम्बित वाद के निर्णय अनुसार कार्यवाही कराने हेतु स्वतंत्र है किन्तु तब तक अपंजीकृत वसीयत के आधार पर विधिक वारिसान के रहते नामांतकरण की कार्यवाही किया जाना विधिविरूद्ध है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट अपास्त योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा संस्थित नामांतकरण संख्या 6685 दिनांक 14.8.2017 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 90/2017 (2017/00108) बउनवानी रूपा बनाम श्रीमती चौथी को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार, मालपुरा द्वारा संस्थित नामांतकरण संख्या 6685 दिनांक 14.8.2017 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 28.2.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर